न्यायालय ACM Ist JPR
मोहनलाल v/s भंवरलाल

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से T.I. 150/22	विशेष विवरण
29/5/24	स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद के चरण संख्या 02 मे उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 01 लगा. 08 की संयुक्त परिवार अविभाजित पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 403 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा, ख०न० 409 रकबा 04 बिस्वा, ख०न० 412 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, ख.न. 413 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, ख. न. 414 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा ग्राम निवारू, प० स० निवारू जिला जयपुर होने के कारण वादी/ प्रार्थी के हित/अधिकार जन्म से ही समाहित है। प्रार्थी ने यह वाद संयुक्त परिवार की भूमि मे से अपने पिता/प्रतिवादी सं. 01 से विरासत के आधार पर अर्जित एवं विधमान अधिकारों की घोषणा के लिए पेश किया है। पत्रावली मे संलग्न रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु के उपरान्त पैतृक सम्पत्ति के अन्तरण के आधार पर विरासत का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय Acm Jaipur I

मोहन लाल बनाम भंवर लाल

मुकदमा संख्या / वर्ष T.J. 150/2022 / 20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसान के नाम खोला जा चुका है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में भी दर्ज हो गया है। अतः वादी द्वारा जो घोषणा का अनुतोष अपने पिता/प्रतिवादी संख्या 01 से चाहा गया है, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थी/वादी, विवादित पैतृक सम्पत्ति मे अपने हिस्से का खातेदार घोषित हो चुका है। वर्तमान मे उक्त वाद को चलाए रखने का कोई वाद-कारण भी शेष नहीं बचा है। ऐसी स्थिति मे वाद-कारण के अभाव में वाद औचित्यहीन होने पर एवं वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने पर वादी का वाद सारहीन हो गया है। इसलिए सारहीन (Infructuous) होने के कारण [illegible] नहीं होने से वादी का वाद खारिज [illegible] निर्णय [illegible] जाता है। स्रेरे इजलास [illegible] 19/06/24 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर जि कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.19 10:57:13 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]